राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/ 2020/07 दिनांकः– 12-05-2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 240 वीं बैठक दिनांक 17–01–2020 के विचार बिन्दु संख्या 240.5 में लिये गये निर्णय की पालना में मण्डल की विभिन्न योजनाओं में आवंटित आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक भूखण्ड/प्लिंथ स्तर आवास/स्केल्टन आवासों पर निर्माण पूर्ण करने हेतु अनुज्ञेय दो वर्ष की समयावधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में, मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/1292 दिनांक 31–01–2020 के द्वारा निर्माण अवधि बढ़ाने के लम्बित प्रकरणों में दिनांक 28–02–2020 तक मांग पत्र जारी कर कार्यवाही करने हेतु जारी किया गया था।

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 01–05–2020 जारी कर भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा–विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तानानतरण, उपविभाजन/पुनर्गठन, भू–उपयोग परिवर्तन आदि हेतु जिन प्रकरणों में जारी किये गये मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की सीमा दिनांक 15–03–2020 एवं इसके पश्चात् है, उनमें राशि जमा कराने की अवधि 30–06–2020 तक किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

अतः मण्डल की विभिन्न योजनाओं में आवंटित आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक भूखण्ड/प्लिंथ स्तर आवास/स्केल्टन आवासों पर निर्माण पूर्ण करने हेतु अनुज्ञेय दो वर्ष की समयावधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में, मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/1292 दिनांक 31–01–2020 के द्वारा निर्माण अवधि बढ़ाने के लम्बित प्रकरणों में जारी मांग पत्र एवं लम्बित प्रकरणों की मांग राशि जमा कराने की अवधि 30–06–2020 तक बढ़ायी जाती है।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–.................................., रा0आ0म0, ... (समस्त)
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–.................................., रा0आ0म0, ... (समस्त)
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी, विपणन शाखा, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

D/DRB/OFFICE ORDER